

राजस्थान सरकार

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय.....

अनुदानित अल्पसंख्यक छात्रावास की मान्यता (पंजीकरण) एवं अनुदान हेतु आवेदक स्वैच्छिक अभिकरण की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट

निरीक्षण समिति:

(A)

सदस्य का नाम	पद मय एवं विभाग	निरीक्षण दिनांक
1		
2		
3		
4		

(B)

स्वैच्छिक अभिकरण का नाम (पूरा डाक पता व दूरभाष क्रमांक सहित)	
---	--

(C)

(अ) स्वैच्छिक अभिकरण का पंजीयन क्रमांक	
(ब) स्वैच्छिक अभिकरण की स्थापना का दिनांक	

(D)

क्या संस्था— (अ) सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1880 के तहत पंजीकृत है?	
(ब) राजस्थान संस्थाएं रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत पंजीकृत हैं?	
(स) अन्य कोई संगठन से पंजीकृत है?	

(E)

स्वैच्छिक अभिकरण से प्राप्त आवेदन पत्र जिला कार्यालय के आवक पंजिका में दर्ज किये जाने का क्रमांक एवं दिनांक।	
--	--

(F)

क्या स्वैच्छिक अभिकरण द्वारा निर्धारित आवेदन प्रारूप में अंकित सभी आर्हताएं/मानदण्ड (मय सभी आवश्यक दस्तावेजों सहित) पूर्ण करने के आधार पर ही स्वैच्छिक अभिकरण का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है।	हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>
--	--

(G)

1. स्वैच्छिक अभिकरण का कार्यालय क्या स्वयं/किराये के भवन में संचालित है?							
2. क्या स्वैच्छिक अभिकरण द्वारा वर्तमान में अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों हेतु कोई कार्यक्रम, छात्रावास संचालन सहित, चलाया जा रहा है	<table border="1"> <thead> <tr> <th>वर्ष</th> <th>कार्यक्रम का नाम</th> <th>सहस्रमस्तर (राजकीय विभाग/अन्य एजेन्सी का नाम)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	वर्ष	कार्यक्रम का नाम	सहस्रमस्तर (राजकीय विभाग/अन्य एजेन्सी का नाम)			
वर्ष	कार्यक्रम का नाम	सहस्रमस्तर (राजकीय विभाग/अन्य एजेन्सी का नाम)					

13. छात्रावास हेतु वार्डन की व्यवस्था (संस्था द्वारा अनडरटेकिंग)	
14. अन्य विवरण (यदि उक्त बिन्दुओं के अतिरिक्त उल्लेख करना आवश्यक हो)	

(I) निरीक्षण समिति की अनुशंसा— भौतिक सत्यापन के आधार पर निरीक्षण प्रारूप में अंकित की गयी समस्त सूचनाओं का परीक्षण करने के उपरांत निरीक्षण समिति के द्वारा गुण-दोष के आधार पर पारदर्शी रूप में स्पष्ट निष्कर्ष अंकित किया जाना आवश्यक है।

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

(J) निरीक्षण समिति की अनुशंसा का सारांश:

पात्र संस्था (ओं) का भौतिक निरीक्षण करने के पश्चात (संस्था द्वारा प्रस्तुत आवश्यक एवं निर्धारित दस्तावेजों का परीक्षण करने एवं प्रस्तावित भवन का निरीक्षण के आधार पर) संस्था (ओं) का प्रस्तावित छात्रावास के संचालन के हेतु की जाने वाली अनुशंसा का सारांश वरीयता क्रम में निम्नानुसार उपयुक्त कॉलम में अंकित किया जाना अनिवार्य है।

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	निरीक्षण समिति की भौतिक जाँच के आधार पर आवेदक संस्था प्रस्तावित छात्रावास के संचालन हेतु उपरोक्त निर्धारित मानकों को पूर्ण नहीं करती है।	विशेष विवरण (यदि तालिका में अंकित किये गये कॉलमों के अतिरिक्त विवरण उल्लेख किया जाना हो तो)

कमेटी सदस्य (1)
हस्ताक्षर मय मोहर

कमेटी सदस्य (2)
हस्ताक्षर मय मोहर

कमेटी सदस्य (3)
हस्ताक्षर मय मोहर